उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या : 35/2015/627/छप्पन-2015-31/2013
लखनऊ : दिनांक : 06 मई, 2015

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

श्री हंसराज शर्मा पुत्र स्व0 श्री राम नारायण शर्मा, वरिष्ठ वायुयान मैकेनिक, डा0 भीमराव अम्बेडकर हवाई पट्टी, मेरठ द्वारा योजित की गयी रिट याचिका संख्या- 1644 (एस0एस0)/2014, हंसराज शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28-03-2014 एवं 13-11-2014 के विरूद्ध योजित पुनर्विचार याचिका डिपेक्टिव संख्या- 50/2015 में दिनांक 10-04-2015 को मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं :-

> "It would be appropriate that the matter may be placed before the Chief Secretary, Government of U.P., who may decide the competence of the authority who has to adjudicate the claim of the petitioner and direct the concerned authority to pass appropriate order. He may also fix the responsibility of the persons for the delay caused in this regard."

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेशों के क्रम में पत्रावली अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रकरण पर यथोचित निर्णय लिये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा सम्बन्धित पक्षों (नागरिक उड्डयन विभाग एवं राजस्व विभाग) तथा न्याय विभाग के अधिकारियों के साथ दिनांक 24.04.2015 को विचार-विमर्श किया गया। प्रकरण पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित स्थिति प्रकाश में आई :-

1. वर्ष 2001 में शासन द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णय के अनुसार नागरिक उड्डयन विभाग का पुनर्गठन किया गया। विभागीय पुनर्गठन के पश्चात पूर्व की सेवा नियमावली को अतिक्रमित करते हुए विभाग के कार्यतंत्र को पृथक-पृथक कार्यक्षेत्र के आधार पर उनकी विशिष्ट कार्य अपेक्षाओं के अनुसार तीन अलग-अलग स्वतंत्र इकाइयों (1) परिचालन इकाई (2) अनुरक्षण, सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन इकाई (3) उ0प्र0 उड़ान प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर में विभाजित करते हुए तीनों इकाईयों की अलग-अलग सेवा नियमावलियां प्रख्यापित हुई, जिसमें उ0प्र0 उड़ान प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर की सेवा नियमावली "उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन विभाग (उत्तर प्रदेश उड़ान प्रशिक्षण संस्थान) भर्ती नियमावली-2001" के नाम से प्रख्यापित हुई।

2. विभागीय पुनर्गठन के अन्तर्गत वर्ष 2001 में श्री हंसराज शर्मा के पिता स्व0 राम नारायण शर्मा की तैनाती तत्समय प्रशिक्षण विंग में तैनात अन्य कर्मियों के साथ उ0प्र0

---2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उड़ान प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर में हो गयी।

3. उत्तर प्रदेश उड़ान प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर की उड़ान प्रशिक्षण गतिविधियों तथा इस पर हो रहे अनुत्पादक व्यय एवं राज्य सरकार की विभिन्न हवाई पट्टियों पर निजी संस्थाओं को उड़ान प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने के निमित्त दी गयी अनुमति तथा निजी वायुयानों के अवतरण आदि को देखते हुए शासनादेश संख्या-1068/छप्पन-2008-180-2000/टी0सी0, दिनांक 19 अगस्त, 2008 द्वारा उत्तर प्रदेश उड़ान प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर के अस्तित्व को समाप्त करते हुए वहां पर तैनात स्टाफ की सेवायें राज्य सरकार की विभिन्न हवाई पट्टियों पर पद सहित सम्बंधित जिलाधिकारी के नियंत्रणाधीन अन्तरित करने के आदेश पारित हुए। उक्त आदेश में यह आदेश दिये गये कि उत्तर प्रदेश उड़ान प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर में कार्यरत विभिन्न कर्मियों को राज्य सरकार की हवाई पट्टियों पर तैनात करने तथा उनकी सेवाओं को सम्बंधित जिलाधिकारी को हस्तान्तरित करने का कार्य जिलाधिकारी, कानपुर नगर जो पदेन रूप में निदेशक, उत्तर प्रदेश उड़ान प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर भी हैं, द्वारा सम्पन्न किया जायेगा।

4. उपरोक्तानुसार स्व0 राम नारायण शर्मा की सेवायें जिलाधिकारी, कानपुर नगर द्वारा पद सहित जिलाधिकारी, मेरठ को अन्तरित कर दी गयी और उनके वेतन भत्ते राजस्व विभाग की अनुदान संख्या-50 से आहरित होने लगे और इस प्रकार वे जिलाधिकारी, मेरठ के अधिष्ठान के अंग हो गये।

5. जिलाधिकारी, मेरठ के पत्र के साथ श्रीमती रानीदेवी शर्मा पत्नी स्व0 राम नारायण शर्मा का पत्र दिनांक 29.01.2013 प्राप्त हुआ, जिसमें उल्लेख किया गया कि श्री राम नारायण शर्मा की मृत्यु दिनांक 27.12.2012 को हो गयी है अतः मृतक आश्रित सेवा नियमावली, 1974 के अनुसार मृतक के पुत्र श्री हंसराज शर्मा को सेवायोजित करने तथा पेंशन व अन्य देयकों का भुगतान करने का अनुरोध किया गया। चूँकि स्व0 श्री राम नारायण शर्मा की सेवायें पद सहित जिलाधिकारी, मेरठ को अंतरित हो चुकी थीं इसलिए श्रीमती रानीदेवी शर्मा का उक्त पत्र नागरिक उड्डयन निदेशालय के पत्र संख्या-3169-72/ ना0उ0नि0, दिनांक 06 फरवरी, 2013 द्वारा जिलाधिकारी, मेरठ को मूलरूप में इस अनुरोध के साथ वापस कर दिया गया कि वे अपेक्षित कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित करें।

6. उक्त के क्रम में जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा अपने पत्र संख्या-39/ह0प0/2013, दिनांक 14.03.2013 के अन्तर्गत स्व0 राम नारायण शर्मा के पुत्र को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित करने तथा पारिवारिक पेंशन एवं अन्य देयों के भुगतान के सम्बन्ध में मार्गदर्शन दिये जाने का अनुरोध सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नागरिक उड्डयन विभाग, लखनऊ से किया

----3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

गया, जिसके संदर्भ में शासन द्वारा अपने पत्र संख्या-731/छप्पन-2013-31/2013, दिनांक 04 जून, 2013 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, मेरठ से यह अपेक्षा की गयी कि वे स्व0 राम नारायण शर्मा को पारिवारिक पेंशन तथा अन्य देयों का भुगतान तथा उनके पुत्र श्री हंसराज शर्मा को मृतक आश्रित के रूप में नियमानुसार सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही अपने स्तर से करें।

7. शासन के उपरिलिखित पत्र संख्या-731/छप्पन-2013-31/2013 दिनांक 04 जून, 2013 के संदर्भ में जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा शासन को पुनः एक पत्र संख्याः 56/ह0प0/2013, दिनांक 22.08.2013 प्रेषित किया गया, जिसके अन्तर्गत " उत्तर प्रदेश राजकीय नागरिक उड्डयन अधीनस्थ अभियंत्रण सेवा नियमावली 1991" जो अस्तित्व में नहीं थी, का उल्लेख करते हुए श्री हंसराज शर्मा को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक, राजकीय नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 लखनऊ को शासन स्तर से निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया। उक्त संदर्भ में शासन के पत्र संख्या-2053/छप्पन-2013-31/2013, दिनांक 26 दिसम्बर, 2013 के अन्तर्गत यह उल्लेख करते हुए कि कार्यालय ज्ञाप संख्या-1068/छप्पन-2008-180-2000/टी0सी0, दिनांक 19 अगस्त, 2008 द्वारा उत्तर प्रदेश उड़ान प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर के अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया तथा वहां पर तैनात स्टाफ की सेवायें जिलाधिकारी, कानपुर, जो पदेन रूप से निदेशक, उत्तर प्रदेश उड़ान प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर भी थे, के द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न हवाई पट्टियों पर तैनात करते हुए उनकी सेवायें संबंधित जिलाधिकारी के नियंत्रणाधीन अंतरित कर दी गयीं, तद्नुसार स्व0 राम नारायण शर्मा, वरिष्ठ वायुयान मेकेनिक, डा0 भीमराव अम्बेडकर हवाई पट्टी, मेरठ की सेवायें जिलाधिकारी, मेरठ के नियंत्रणाधीन अंतरित हो गयीं हैं और स्व0 श्री शर्मा मृत्यु के समय राजस्व विभाग के कर्मचारी थे, उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृतक सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 के नियम-5 जिसमें यह व्यवस्था है कि " ऐसी नौकरी अविलम्ब और यथाशक्य उसी विभाग में दी जानी चाहिए, जिसमें मृतक सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था", के अनुसार कार्यवाही करने की अपेक्षा जिलाधिकारी, मेरठ से की गयी। जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा अपेक्षित कार्यवाही न करके अपने पत्र संख्या-73/ह0प0/2014 दिनांक 17.02.2014 के अन्तर्गत पुनः शासन से यह अनुरोध किया गया कि स्व0 राम नारायण शर्मा के आश्रित को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित करने की कार्यवाही जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा किया जाना तब तक संभव नहीं है, जब तक जिलाधिकारी को नियंत्रक प्राधिकारी के अतिरिक्त नियुक्ति प्राधिकारी का दायित्व भी नहीं सौंपा जाता है।

---4

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8. इसी बीच श्री हंसराज शर्मा द्वारा मा0 उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच लखनऊ में रिट याचिका संख्या-1644(एस0एस0)/2014 हंसराज शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य भी योजित कर दी गयी। उक्त याचिका का उल्लेख करते हुए शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-535/छप्पन-12-31/13 दिनांक 26 मार्च, 2014 के अन्तर्गत प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन से भी अनुरोध किया गया कि वे कृपया उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, मेरठ को आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।

9. श्री हंसराज शर्मा द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट संख्या-1644/एस0एस0/2014 हंसराज शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.03.2014 को आदेश पारित कर दिये गये जिसके मुख्य अंश निम्नवत् हैं :-

> "Since the claim of petitioner for compassionate appointment is still pending and no decision has been taken, the writ petition, with the consent of parties counsel and without entering into merits of claim of petitioner, is disposed of at this state with observation that the District Magistrate, Meerut shall consider and decide the claim of petitioner for compassionate appointment under Dying-in-Harness Rules in accordance with law, rules, regulations and the Government Orders, expeditiously and pass necessary orders within a period of four months from the date a certified copy of this order along with copy of representation seeking compassionate appointment is placed before him. The death-cum-retiral benefits of the deceased employee, namely, late Ram Narain Sharma shall also be released in favour of legally entitled person, in case the same have not been paid so far."

10. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरिलिखित आदेश दिनांक 28.03.2014 के समादर में जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा मृतक राम नारायण शर्मा की पत्नी श्रीमती रानी देवी शर्मा को पारिवारिक पेंशन, उपादान ग्रेच्युटी, सामान्य भविष्य निधि 90 प्रतिशत, सामूहिक बीमा एवं अर्जित अवकाश के बदले नकदीकरण का भुगतान किया जा चुका है।

11. जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा मृतक आश्रित की नियुक्ति के सम्बन्ध में पुनः शासन को पत्र संख्या-125/ह0प0, दिनांक 28 अगस्त, 2014 प्रेषित किया गया, जिसमें कतिपय बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट कराये जाने की अपेक्षा की गयी। शासन द्वारा अपेक्षित समस्त बिन्दुओं पर अपने पत्र संख्या 1460/छप्पन-2014-31/2013, दिनांक 17 अक्टूबर, 2014 के अन्तर्गत पूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुए अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित नागरिक उड्डयन विभाग की नियमावली " उत्तर प्रदेश राजकीय नागरिक उड्डयन अधीनस्थ अभियंत्रण सेवा नियमावली, 1991" विभागीय पुनर्गठन से पूर्व की है, जो सम्प्रति अस्तित्व में नहीं है। चूँकि उक्त नियमावली का अतिक्रमण करते हुए इकाईवार अलग-अलग सेवा नियमावलियॉ प्रख्यापित हो चुकी हैं अतः वर्तमान में इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन सेवायोजन

---5

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रदान नहीं किया जा सकता तथा जिलाधिकारी, मेरठ को निर्देशित किया गया कि प्रश्नगत मामले में अब और अधिक विलम्ब न करते हुए स्व0 राम नारायण शर्मा, वरिष्ठ वायुयान मैकेनिक के आश्रित को तत्काल सेवायोजित करने का कष्ट करें ताकि मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित हो सके।

12. जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा अपने उक्त पत्र दिनांक 28 अगस्त, 2014 के क्रम में शासन के स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा न करते हुए मुख्य स्थायी अधिवक्ता के माध्यम से मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2014 के modification हेतु Application और इस Application के साथ Affidavit मा0 न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया। शपथ पत्र में जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा विभागीय पुनर्गठन से पूर्व की सेवा नियमावली " उत्तर प्रदेश राजकीय नागरिक उड्डयन अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा नियमावली 1991" विशेषतः नियमावली के प्रस्तर-3(क) को इंगित करते हुए यह कहा गया कि स्व0 श्री राम नारायण शर्मा के नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य निदेशक, राजकीय नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 से है और उनके द्वारा प्रार्थना की गयी कि मा0 उच्च न्यायालय अपने आदेश दिनांक 28.03.2014 को तदनुसार संशोधित करते हुए जिलाधिकारी, मेरठ के स्थान पर निदेशक, नागरिक उड्डयन को स्व0 श्री राम नारायण शर्मा का नियुक्ति प्राधिकारी निर्धारित करे। उक्त प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र के आलोक में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.11.2014 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये :-

> "The order dated 28-03-2014 is modified to the extent that the claim of the petitioner for compassionate appointment under the Dying-in-Harness Rules shall be considered and decided in accordance with law, rules, regulation and Government orders in terms of the Court's order dated 28.03.2014 by the opposite pary no.2, Diector General, Civil Aviation, U.P. Lucknow."

13. नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2014 एवं 13.11.2014 के विरूद्ध पुनर्विचार याचिका डिपेक्टिव संख्या 50/2015 योजित की गयी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.04.2015 को पारित किये गये आदेश के मुख्य अंश निम्नवत हैं:-

> "It would be appropriate that the matter may be placed before the Chief Secretary, Government of U.P., who may decide the competence of the authority who has to adjudicate the claim of the petitioner and direct the concerned authority to pass appropriate order. He may also fix the responsibility of the persons for the delay caused in this regard."

उपरोक्त वस्तुस्थिति के आलोक में यह स्पष्ट होता है कि शासन द्वारा समय-समय पर

---6

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुए जिलाधिकारी, मेरठ को यह निर्देश भी दिये गये कि श्री हंसराज शर्मा के पिता स्व0 श्री राम नारायण शर्मा विभागीय पुनर्गठन के अन्तर्गत राजस्व विभाग के कर्मी हो गये थे, अतः उनके मृतक आश्रित के रूप में श्री हंसराज शर्मा के सेवायोजन तथा पेंशन व अन्य देयकों का भुगतान उनके स्तर से किया जाना है। यह भी अनुभव किया गया कि "उत्तर प्रदेश राजकीय नागरिक उड्डयन अधीनस्थ अभियंत्रण सेवा नियमावली 1991" जो अस्तित्व में नहीं थी, के आधार पर जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष Modification Application प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण से सम्बन्धित समस्त तथ्यों, इन्हीं विषयों पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों, अभिलेखों और सम्बन्धित नियमों के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी, मेरठ को निर्देशित किया जाता है कि वे स्व0 श्री राम नारायण शर्मा, वरिष्ठ वायुयान मैकेनिक, डा0 भीमराव अम्बेडकर हवाई पट्टी, मेरठ के आश्रित श्री हंसराज शर्मा को तत्काल सेवायोजित करें ताकि मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

संख्या: 35/2015/627(1)/छप्पन-2015-31/2013, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. जिलाधिकारी, मेरठ।
3. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0।
4. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, लखनऊ को पुनर्विचार याचिका डिपेक्टिव संख्या-50/2015 हंसराज शर्मा बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.04.2015 के संदर्भ में।

आज्ञा से,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in